3346

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

G 187212

कोड संख्या-5500

2 12 MAR 2012

जिला हरिद्वार

पटटानामा (लीज डीड)

1- विलेख पत्र का प्रकार - पटटानामा (लीज डीड)

2- पटटे की अवधि - 29 वर्ष

3- स्टाम्प शुल्क हेतु मालियत - रू0 3,000/-रूपयें प्रति वर्ष के 6 गुणा से मालियत 18,000/-रूपयें

4- स्टाम्प शुल्क - रू0 460 रू0

5- पटटे पर दी जाने वाली सम्पत्ति का विवरण- खसरा नम्बर 938 रकबई 0.1316 हैक्टेयर का 1/2 भाग अर्थात 0.0658 हैक्टेयर अर्थात 658 वर्गमीटर स्थित ग्राम किशनपुर जमालपुर मुस्तहकम परगना भगवानपुर तहसील रूडकी जिला हरिद्वार।

Reethee Agarwal

दस्तावेज लेखक
तहसील कोर्ट, रुड़की

तहसील कोर्ट, रुड़की

नं० 606 22/3/12

स्टाम्प 100 रुपये 2 वास्ते

द्वारा श्री अतुल शास्त्री अग्रवाल पुत्र/पति

निवासी को बेचा।

मनोज कुमार

आर्य

मशकूर आलम - स्टाम्प विक्रेता

ला०सं०-136/ कचहरी रुड़की

दफ्तर सब रजिस्ट्रार रुड़की I जिला हरिद्वार

उत्तराखण्ड

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

G 187213

कोषाधिकारी (रुड़की)
कोड संख्या 5600
21 MAR 2012

6- स्टाम्प शुल्क हेतु मालियत का निर्धारण - लीज की अवधि 29 वर्ष निर्धारित है इस कारण जिलाधिकारी द्वारा निर्गत मूल्य सूची के अनुसार लीज पर दी गयी सम्पत्ति पर स्टाम्प शुल्क सम्पत्ति के एक वर्ष के किराये 3000/-रूपयें के 6 गुणा की मालियत 18,000/-रूपयें पर अदा किया जा रहा है

7- स्वामित्व का आधार - संक्रमणीय भूमिधर

8- सडक से दूरी - राष्ट्रीय राजमार्ग से 2 किमी0 दूर तथा मुख्य मार्ग से 500 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है।

9- पटटे पर दी जाने वाली सम्पत्ति को उपजिलाधिकारी/सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी रूडकी द्वारा वाद संख्या 90/07-08 दलमीर बनाम सरकार अन्तर्गत धारा 143 उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश) जमीदारा विनाश अधिनियम के अन्तर्गत दिनांक 20-02-2008 को आबादी प्रयोजन हेतु अकृषिक घोषित किया जा चुका है।

10- प्रयोजन - आबादी प्रयोजनार्थ

Rakhee Agarwal

सं0 606 22/3/12

स्टाम्प 100/ रुपये वास्ते

हाथ श्री पुत्र/पत्नि

निवासी को बेचा।

महाराष्ट्र अरोड़ा - स्टाम्प विक्रेता

ला0सं0-136, रुड़की

की । जिला

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

G 187214

21 MAR 2012

जिला हरिद्वार (उत्तराखण्ड)

11- नाम पटटाकर्ता (प्रथम पक्ष) - श्रीमति राखी अग्रवाल पत्नी श्री मनोज कुमार अग्रवाल निवासी सिविल लाईन रूडकी परगना व तहसील रूडकी जिला हरिद्वार (उत्तराखण्ड) पैन नम्बर ए ए एम पी ए 2565 एल

13- नाम पटटा धारक (द्वितीय पक्ष)- एवसा पेरेन्टल्स लि0 किशनपुर जमालपुर निकट पुहाना चौक ग्राम किशनपुर जमालपुर परगना भगवानपुर तहसील रूडकी जिला हरिद्वार द्वारा डायरेक्टर मनोज अग्रवाल पुत्र स्व0 डा0 जगन्नाथ अग्रवाल निवासी 200 सिविल लाईन रूडकी परगना व तहसील रूडकी जिला हरिद्वार (पैन ए ए एम पी ए 2562पी) जिन्हे प्रस्ताव दिनांकित 18-03-2012 के द्वारा अधिकृत किया गया है।

यह पटटा विलेख पत्र (लीज़ डीड) आज दिनांक 19-03-2012ई0 को स्थान रूडकी में श्रीमति राखी अग्रवाल पत्नी श्री मनोज कुमार अग्रवाल निवासी सिविल लाईन रूडकी

Rakhee Agarwal

नं0......606...... 22/3/12
स्टाम्प......1001......रुपये........वास्ते
हाथ श्री..........पुत्र/पत्नि
निवासी..........ने बेचा।

महावीर अग्रवाल - स्टाम्प विक्रेता
लाइ0सं0-136 तहसील रुड़की

रुड़की । जिला हरिद्वार

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

G 187215

कोषाधिकारी (रुड़की) कोड संख्या-6000 21 MAR 2012 जिला हरिद्वार (उत्तराखण्ड)

परगना व तहसील रूडकी जिला हरिद्वार पट्टाकर्ता/प्रथम पक्ष एंव एक्सा पेरेन्टल्स लि0 किशनपुर जमालपुर निकट पुहाना चौक ग्राम किशनपुर जमालपुर परगना भगवानपुर तहसील रूडकी जिला हरिद्वार द्वारा डायरेक्टर मनोज अग्रवाल पुत्र स्व0 डा0 जगन्नाथ अग्रवाल निवासी 200 सिविल लाईन रूडकी परगना व तहसील रूडकी जिला हरिद्वार पट्टाधारक/द्वितीय पक्ष के मध्य अंकित व हस्ताक्षरित एंव निष्पादित कर पंजीकृत कराया जा रहा है।

यह कि प्रथम पक्ष इस विलेख पत्र में वर्णित सम्पत्ति का एक मात्र संक्रमणीय भूमिधर एंव स्वामी है जो हर प्रकार से पवित्र एंव स्वच्छ है तथा कही रहन व आढ आदि नही है और न ही प्रथम पक्ष ने अपनी निम्न वर्णित सम्पत्ति को किसी व्यक्ति, संस्था या कम्पनी को विक्रय किया हुआ है और न ही विक्रय करने का अनुबन्ध मौखिक या लिखित रूप से किया हुआ है और जिसे प्रथम पक्ष के अनुरोध पर उपजिलाधिकारी/सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी रूडकी ने धारा 143 जमीदारा विनाश एंव भू व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत अकृषिक घोषित किया हुआ है और

Rakhee Agarwal

क्र०......606......तिथि......22/8/12
स्टाम्प......1001......रुपये......वास्ते
द्वारा श्री......पुत्र/पत्नि
निवासी......को बेचा।

अशोक कुमार – स्टाम्प विक्रेता
ला०सं०-.../2010, कचहरी रुड़की

सब रजिस्ट्रार रुड़की । जिला हरिद्वार

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND 5 B 020953

कोषाधिकारी (रुड़की)
कोड संख्या - 5500

जिसके सम्बन्ध में कही पर भी किसी भी न्यायालय में स्वामित्व के सम्बन्ध में या चक परिवर्तन के सम्बन्ध में कोई वाद विवाद विचाराधीन नही है और मुझ प्रथम पक्ष का स्वामित्व हर प्रकार से पवित्र एंव स्वच्छ है और मुझ प्रथम पक्ष को हर प्रकार के समस्त अधिकार प्राप्त है।

यह कि द्वितीय पक्ष को अपनी कम्पनी के उददेश्यों की पूर्ति हेतु भूमि की आवश्यकता थी और इस सम्बन्ध में द्वितीय पक्ष एंव प्रथम पक्ष के मध्य वार्ता हुई तथा वार्ता के बाद प्रथम पक्ष अपनी निम्न वर्णित सम्पत्ति जिसका स्पष्ट विवरण विलेख पत्र के अन्त में दिया गया है को द्वितीय पक्ष को अपनी कम्पनी हेतु देने के लिए तैयार हो गया। प्रथम पक्ष अपनी सम्पत्ति द्वितीय पक्ष को देने के लिए तैयार एंव इच्छुक है इस सम्बन्ध में दोनो पक्षो के बीच वार्ता के बाद प्रथम पक्ष ने अपनी निम्न वर्णित सम्पत्ति को मुबलिग 3,000/-रूपयें तीन हजार रूपयें प्रति वर्ष की दर से पटटे पर दे दिया है और द्वितीय पक्ष ने लेना स्वीकार कर लिया है। इस सम्बन्ध में हम दोनो पक्षकारो के मध्य निम्नलिखित शरायत तय हुई जिनका पालन हम दोनो पक्षकार एंव उनके उत्तराधिकारीगण करने के लिए पूर्ण रूप से पाबन्द होगे व रहेगे।

1- यह कि विलेख पत्र के अन्त में वर्णित सम्पत्ति जिसका एक मात्र स्वामी एंव संक्रमणीय भूमिधर प्रथम पक्ष है और जिसको उपजिलाधिकारी/सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी रूडकी ने अकृषिक प्रयोजनार्थ प्रयोग में लाना घोषित किया हुआ है तथा जिसका सम्पूर्ण विवरण इस विलेख पत्र के अन्त में दिया गया है, को प्रथम पक्ष ने दिनांक 19-03-2012 से आगामी 29 वर्षो के लिए यानि

सं0 666 तिथि 22/3/12

स्टाम्प 51 रुपये वास्ते

हाथ श्री पुत्र/पत्नि

निवासी को बेचा।

महताब आलम - स्टाम्प विक्रेता

लाइ0सं0-13/2010, रुड़की

उप निबन्धक रुड़की जिला हरिद्वार

उत्तराखण्ड

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

भारत

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

16AA 175462

कोषाधिकारी (रुड़की)

स्टोर संख्या-5590

2 MAR 2012

जिला हरिद्वार (उत्तराखण्ड)

दिनांक 19-03-2041ई0 तक के लिए द्वितीय पक्ष को पटटे पर दे दिया है तथा द्वितीय पक्ष ने पटटे पर ले लिया है और प्रथम पक्ष ने निम्न वर्णित सम्पत्ति से अपना कब्जा पूर्ण रूप से हटाकर द्वितीय पक्ष को अपने समान उक्त वर्णित सम्पत्ति पर आरूढ एंव काबिज करा दिया है।

2- यह कि उक्त पटटा धारक (द्वितीय पक्ष) को अधिकार होगा कि वह इस पटटानामा/लीज डीड विलेख पत्र के आधार पर बैंक/वित्तीय संस्था, सरकारी, अर्द्ध सरकारी, वित्तीय संस्था/बैंक व व्यक्ति विशेष से ऋण प्राप्त करे व उसकी अदायगी करे व ऋण की वापसी की समस्त जिम्मेदारी प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष दोनो की ही होगी प्रश्नगत सम्पत्ति से भी ऋण बकाया वसूला जा सकेगा।

3- यह कि पटटा विलेख पत्र के आधार पर द्वितीय पक्ष को अधिकार होगा कि वह शिक्षा विभाग, तकनीकी शिक्षा विभाग, एंव उच्च शिक्षा विभाग चिकित्सा औषधि विभाग, उधोग विभाग में अपना पंजीकरण कराये, अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करे तथा राज्य सरकार एंव केन्द्रीय सरकार के समस्त कार्यालयों, विभागो में आवेदन पत्र प्रस्तुत करे, अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करे एंव अपना पंजीकरण कराये इसमें प्रथम पक्ष को कोई आपत्ति किसी प्रकार की नही होगी तथा प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष को अपना पूर्ण सहयोग हर प्रकार से प्रदान करेगा।

4- यह कि पटटा विलेख पत्र के आधार पर द्वितीय पक्ष को अधिकार प्राप्त होगा कि वह पर्यावरण संरक्षण एंव प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करे इसमें प्रथम पक्ष को कोई आपत्ति किसी प्रकार की नही होगी।

Rashee Agarwal

606 ... 22/3/12
..... 10 ....रुपये.. / ....वास्ते
हाथ ....पुत्र/पत्नि
...........को बेचा।
निवासी

स्टाम्प विक्रेता
/R/2010, कचहरी रुड़की

Lease	प्रलेख स 3,346 बही 1			
Lease(Lease Than 30 years)			प्रतिफल रु0 0.00	अग्रिम रु0 0.00
रजिस्ट्रेशन शुल्क 360.00	प्रतिलिपि शुल्क 20.00	इलेक्ट्रानिक प्रोसेसिंग शुल्क 160.00	कुल योग 540.00	शब्द लगभग 1000

श्री राखी अग्रवाल
पुत्र श्री मनोज कुमार अग्रवाल
पेशा अन्य
निवासी सिविल लाईन रूडकी

ने आज दिनांक 22/03/2012 समय 1:52 pm
को कार्यालय उपनिबन्धक रुडकी(प्रथम)
मे प्रस्तुत किया

उपनिबन्धक
रुडकी(प्रथम)
22-Mar-2012

राखी अग्रवाल

इस लेख पत्र का निष्पादन विलेख मे लिखित तथ्यों को सुन व समझकर श्री
राखी अग्रवाल w/o मनोज कुमार अग्रवाल, सिविल लाईन रूडकी/

ने अग्रिम धनराशी रु 0.00 को प्रलेखानुसार पाकर निष्पादन स्वीकार किया एवं निष्पादन श्री
एक्सा पेरेन्टल्स लि.द्वारा मनोज अग्रवाल s/o स्व.डा.जगन्नाथ अग्रवाल, 200 सिविल
लाईन रूडकी/

ने भी स्वीकार किया । जिनकीं पहचान
श्रीमती कमलेश गुप्ता
पत्नी श्री कृष्ण कुमार
निवासी 43 सिविल लाईन रूडकी
श्री विनीत कुमार एडवोकेट
निवासी तहसील कोर्ट रूडकी

ने की।

उपनिबन्धक
रुडकी(प्रथम)
22-Mar-2012

5- यह कि पटटा विलेख पत्र के आधार पर द्वितीय पक्ष को अधिकार प्राप्त होगा कि वह अपने नाम से विधुत विभाग से विधुत कनेक्शन प्राप्त करे तथा उस हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करे इसमें प्रथम पक्ष को कोई आपत्ति किसी प्रकार की नही होगी।

6- यह कि पटटे पर ली गयी सम्पत्ति में द्वितीय पक्ष को अधिकार होगा कि वह अपनी सुविधा अनुसार अपनी कम्पनी के उददेश्यो की पूर्ति हेतु निर्माण करे, निर्माण में परिवर्तन करे, सडक का निर्माण करे एंव उसका पूर्ण रूप से रख रखाव करे इसमें प्रथम पक्ष को कोई आपत्ति किसी प्रकार की नही होगी किये गये निर्माण एंव उसके पर समस्त अधिकार द्वितीय पक्ष का होगा।

7- यह कि पटटेनामा के आधार पर पटटे पर ली गयी सम्पत्ति के सम्बन्ध में द्वितीय पक्ष को विधुत सेवा, राज्य सरकार/केन्द्र सरकार से किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र या किसी भी सरकारी या अर्द्धसरकारी विभाग से किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र लेने का पूर्ण अधिकार प्राप्त होगा। इसमें प्रथम पक्ष को कोई आपत्ति किसी प्रकार की नही होगी और यदि द्वितीय पक्ष को प्रथम पक्ष के किसी भी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता पडती है तो प्रथम पक्ष अपना सहयोग प्रदान करने के लिए पाबन्द रहेगा।

8- यह कि पटटे पर दी गयी सम्पत्ति पूर्ण रूप से पवित्र एंव स्वच्छ है तथा कही विक्रय, रहन, व आड आदि नही की गयी है और न ही किसी को विक्रय करने का अनुबन्ध पत्र मौखिक या लिखित रूप से किया हुआ है। यदि कोई पाया जाता है तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी प्रथम पक्ष की होगी।

9- यह कि दौरान अवधि प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष के आधिपत्य में किसी प्रकार का हस्तक्षेप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से न तो करेगा और न करायेगा और न ही उसका कारण बनेगा।

10- यह कि पटटा विलेख पत्र के निष्पादन से उत्तराखण्ड/उत्तर प्रदेश जमीदारा विनाश एंव भू व्यवस्था अधिनियम के प्राविधानो का किसी प्रकार से उल्लंघन नही हो रहा है।

11- यह कि पटटा अवधि 29 वर्ष के लिए निर्धारित है परन्तु दोनो पक्षकार आपसी सहमति से समय अवधि बढा सकते है या समय अवधि से पूर्व भी पटटे को निरस्त कर सकते है।

अतः यह पटटानामा विलेख पत्र दोनो पक्षो ने बिना किसी जोर दबाव के अपनी मन बुद्धि व इन्द्रियों की स्वस्थ दशा में सोच समझकर स्वच्छा से पूर्ण स्वतन्त्रता के साथ पढकर समझकर लिख दिया तथा अपने अपने हस्ताक्षर साक्षीगण की उपस्थिति में कर दिये ताकि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे।

<u>विवरण सम्पत्ति जो पटटे पर दी जा रही है</u>- खसरा नम्बर 938 रकबई 0.1316 हैक्टेयर का 1/2 भाग अर्थात 0.0658 हैक्टेयर अर्थात 658 वर्गमीटर स्थित ग्राम किशनपुर जमालपुर मुस्तहकम परगना भगवानपुर तहसील रूडकी जिला हरिद्वार।

Rakhee Agarwal

Book No. 1 Registration Year 2012 Registration No 3,346

राखी अग्रवाल

एक्सा पेरेन्टल्स लि.द्वारा मनोज अ

कमलेश गुप्ता

विनीत कुमार एडवोकेट

सहायक सब रजिस्ट्रार रुड़की । जिला हरिद्वार
उत्तराखण्ड

प्रतिज्ञ एंव साक्षीगण भद्र प्रतीत होते हैं । सभी के अंगुष्ठ चिन्ह नियमानुसार लिये गये है ।

उपनिबन्धक रुडकी(प्रथम)

22-March-2012

(8)

प्रथम पक्ष के बाये हाथ की अंगुलियों के निशानः-

अंगुठा तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठिका

प्रथम पक्ष के दाये हाथ के अगुलियों के निशान-

अंगुठा तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठिका

द्वितीय पक्ष के बाये हाथ की अंगुलियों के निशानः-

अंगुठा तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठिका

द्वितीय पक्ष के दाये हाथ की अंगुलियों के निशानः-

अंगुठा तर्जनी मध्यमा अनामिका कनिष्ठिका

साक्षी Kamlesh Gupta

श्रीमति कमलेश गुप्ता पत्नी श्री कृष्णकुमार नि० 43 सिविल लाईन, रुड़की [illegible]

साक्षी [signature]

रविन्द्र कुमार
दस्तावेज़ लेखक
तहसील कोर्ट, रुड़की

तहरीर तारीख- 22-03-2012ई0

इस पटटा विलेख पत्र का टंकन पक्षकारो के निर्देश पर तथा उनके द्वारा प्रस्तुत प्रपत्रो के आधार पर रविन्द्र कुमार क0न0 द्वारा कराया गया है।

Rachel Agarwal

[signature]

दस्तावेज लेखक-रविन्द्र कुमार
अनुज्ञप्ति संख्या 1-1-10 दिनांक 31-3-2012
विक्रय स्थान कचहरी रुड़की जिला-हरि[illegible]
ली गई फीस ....100/-.... रु०
दस्तावेज लेखक के हस्ता[illegible]

Vill - Mohanpura
Post - Mulabanagar
[illegible]

दफ्तर सब रजिस्ट्रार रुड़की I जिला हरिद्वार
उत्तराखण्ड

बही नम्बर 1 जिल्द 2,056 पृष्ठ 393 से 408

में नम्बर 3,346 पर आज दिनांक 22-March-2012

में रजिस्ट्री की गयी ।

उप निबन्धक
रुडकी(प्रथम)
22-March-2012